न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 69/2023

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1 सुमेरसिंह पुत्र बदनसिंह जाति राजपूत निवासी सांजू तहसील साजू जिला नागौर। 2 प्रेमसिंह पुत्र चोखसिंह जाति राजपूत निवासी सांजू तहसील साजू जिला नागौर।		1 तहसीलदार सांजू जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 18.06.2024

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 25/2023 सरकार बनाम सुमेरसिंह वगैरा में निर्णय दिनांक 24.08.2023 के तहत मौजा सांजू की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.10.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 09.11.2023 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार सांजू के निर्णय 24.08.2023 की फोटोप्रति, तहसीलदार सांजू के मुकदमा संख्या 25/23 के फर्द अहकाम दिनांक 14.08.23 से 24.08.2023 की फोटोप्रति, मौजा सांजू के खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2080 की फोटोप्रति, पटवारी द्वारा तहसीलदार सांजू को प्रस्तुत रिपोर्ट की फोटोप्रति, तहसीलदार के नोटिस की फोटोप्रति, अपीलांट प्रेमसिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 22 की फोटोप्रति, उच्च न्यायालय जोधपुर के एस.बी. सीविल रिट पिटिशन संख्या 14450/23 के निर्णय दिनांक 13.10.2023 की फोटोप्रति, ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 30.11.17 की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांटान के विरूद्व पटवारी हल्का सांजू के अपीलांटन द्वारा खसरा नम्बर 1316/680 गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नम्बर 680 गैर मुमकिन श्मसान मौजा सांजू पर वर्ष 2023 संवत् 2080 में अतिचार करने बाबत रिपोर्ट पेश करने पर उक्त प्रकरण संख्या 24/2023 धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम का दर्ज किया जाकर नोटिस जारी करने का आदेश हुआ जिसका नोटिस अपीलांट संख्या 2 प्रेमसिंह को दिनांक 22.08.2023 को प्राप्त हुआ व पेशी दिनांक 24.08.2023 को बतायी गयी। अपीलांट प्रेमसिह ने दिनांक 24.08.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करते हुए साक्ष्य पेश करने के लिए अवसर चाहा जिस पर अपीलांट को कहा गया कि अपीलांट संख्या 1 का नोटिस अभी तक तामिल नहीं हुआ है उनका नोटिस तामिल होकर जवाब आने के पश्चात आपको साक्ष्य पेश करने के लिए सूचित कर दिया जावेगा, फिलहाल पटवारियों की हडताल चल रही है इसलिए पेशी तारीख निर्धारित नहीं की जा रही है। तत्पश्चात कोई नोटिस अपीलांट संख्या 1 को जारी नहीं किया गया न ही अपीलांट संख्या 2 को साक्ष्य पेश करने हेतु कोई तारीख पेशी की ही सूचना दी गयी तब अपीलांट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने परिचित को भेज कर पता करने का प्रयास किया तो उन्हे कहा गया कि उक्त प्रकरण में तो दिनांक 24.08.2023 को ही निर्णय पारित कर दिया गया था। जिस पर अपीलांट संख्या 2 ने दिनांक 11.09.2023 को नकल के लिये आवेदन पेश कराया जिस पर प्रमाणित प्रति दिनांक 27.09.2023 को जारी की गई। जो अपीलांट संख्या 02 के परिचित के पास रही व इस दौरान अपीलांट संख्या 2 बीमार हो जाने के कारण अपने इलाज आदि के सिलसिले में जयपुर चला गया व अभी वापिस दिनांक 17.10.2023 को गांव आया तब उसे उक्त प्रमाणित प्रति मिली व अपीलांट संख्या 1 को भी अपीलांट संख्या 2 ने इस बाबत अब बताया है इस कारण तुरन्त न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो जानकारी से अंदर मियाद है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बावत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

18/6/24

अपर कलक्टर, नागौर

भी दिया गया है। अपीलांट्स संख्या 02 का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

18/6/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर